न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थित –हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP–2408)
CNR No.- UPHP010049612026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1466/2026

1. सचिन कुमार पुत्र नरेश सिंह,
2. देवेन्द्र पुत्र इन्द्रा
निवासीगण ग्राम शौलाना थाना धौलाना जिला हापुड़।
3. तरूण पुत्र नैपाल निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

अन्तर्गत धारा–147, 148, 323, 308, 325, 504 भा०दं०सं०
थाना–धौलाना, जिला– हापुड़।
मु०अ०सं० 273/2024

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी एक अमन पसंद कानून को मानने वाला गृहस्थी व बाल बच्चेदार व्यक्ति है तथा पेशे से एक किसान है। दिनांक 25–6–2024 समय करीब 7.00 बजे शाम का वाका है प्रार्थी ग्राम देहरा से किसी व्यक्ति से रुपये लेकर अपने घर आ रहा था, प्रार्थी के साथ प्रार्थी के पुत्र अफरोज, सलमान थे जब प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र मंगल बाजार लालपुर की तरफ मुडे तो पहले से ही घात लगाये मोहित, अवनीश पुत्रगण रामौतार, अनुज पुत्र सुभाष, देवेन्द्र पुत्र इन्द्र, सागर पुत्र हरीश, निवासीगण ग्राम शौलाना थाना धौलाना जिला हापुड व 6–7 लोग अज्ञात जो अपने हाथो मे फरसा, तलवार, लाठी, डण्डो से लैस थे सभी लोग एक सूर मे कहने लगे तुम साले बहुत दादा बनते हो रास्ते को घेर लेते हो तथा एक राय होकर प्रार्थी के पुत्रो सलमान व अफरोज पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया जिससे प्रार्थी के पुत्रो को सिर मे गम्भीर चोट आई तथा हाथ की हडडी टूट गई। प्रार्थी अपने पुत्रो को लेकर रिपोर्ट लिखाने थाना धौलाना पर गया थाने वालो ने मजरूबी चिटठी बनाकर पुलिस वाले के साथ भेजकर सरकारी अस्पताल धौलाना मे मैडिकल कराया, ज्यादा गम्भीर हालत होने के कारण प्रार्थी के दोनो पुत्रो को सरकारी अस्पताल धौलाना से मेरठ मैडिकल कॉलिज मेरठ को रेफर कर दिया। प्रार्थी के पुत्र अभी भी मैडिकल अस्पताल मेरठ में भर्ती है तथा वर्तमान मे भी इलाज चल रहा है। प्रार्थी के पुत्र की गम्भीर हालत होने के कारण प्रार्थी थाने मे समय से रिपोर्ट दर्ज नही करा सका। समय मिलने पर दिनांक 30.06.2024 को प्रार्थी थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया तो थाने वालो ने प्रार्थी की तहरीर लेकर रख ली और रिपोर्ट नहीं लिखी।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त केस में गांव की पार्टी बाजी के आधार पर रंजिशन बिल्कुल झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण सचिन कुमार व तरूण उपरोक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है तथा ना ही 173 (4) के प्रार्थना पत्र में नाम अंकित है। आवदेक/अभियुक्त तरूण के पिता द्वारा मुकदमा वादी के विरूद्ध पूर्व में ही माननीय

एससी/एसटी कोर्ट में मु०अ०सं० 486 सन 2022 अं० धारा 323, 504, 506, 354, 354क आई०पी०सी० व 3 (2) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कराया हुआ है जिसमें समझौता ना होने के कारण क्षुब्ध होकर व द्वेषभावना मानते हुए आवदेक/अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया गया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त केस की घटना के दिन व समय पर घटना स्थल पर उपस्थित नही था बल्कि आवेदक/अभियुक्त सहायक पशु चिकित्सक पद पर ग्राम नन्दपुर गऊशाला में गायों का इलाज कर रहा था जिसकी बावत प्रमाण पत्र भी जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिससे साफ स्पष्ट सिद्ध होता है कि आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त केस में बिल्कुल झूठा नामदर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। आवेदकगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर वादी मुकदमा व उसके परिजनों के साथ किसी भी प्रकार की कोई मारपीट, गाली गलौच नही की है और ना ही कोई चोट पहुँचायी गयी है बल्कि वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा व उसके परिजनों द्वारा नाजायज हथियारो से लैश होकर आवेदकगण/अभियुक्तगण व उनके परिवार जनों के साथ एक राय होकर जान लेवा हमला किया गया था जिसमें आवेदकगण/अभियुक्तगण व उनके परिवार जनों के काफी गम्भीर चोटे आयी तथा पुलिस ने मैडिकल भी कराया था। जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा व उसके परिवार जनों के विरूद्ध थाना धौलाना पर घटना की दिनांक 25.6.2024 को ही मु0 अ 0 सं0–160 सन 2024 अं० धारा–147, 148, 323, 324, 308, 336, 504, 506 आई०पी०सी० दर्ज कराया था। इस प्रकार वादी मुकदमा व उसके परिवार जनों द्वारा ही आवेदकगण/अभियुक्तगण व उनके परिवार जनों के साथ मारपीट कर गम्भीर चोटे पहुंचायी गयी थी। तथा वादी मुकदमा व उसके परिजनों के विरूद्ध दर्ज कराये गये मु0 अ 0 सं0 160/2024 में दबाव बनाकर फैसला करने व काउन्टर ब्लास्ट करने के उददेश्य से वादी मुकदमा ने झूठी फर्जी व मनघढन्त कहानी बनाकर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है जिसमें लेशमात्र भी सच्चाई नही है। तथाकथित घटना व्यस्तम स्थान गाँव की होना दर्शाया है जहाँ चारो तरफ घनी आबादी व मकानात बने हैं परन्तु फिर भी आम जनता का कोई स्वंतत्र साक्षी नही है समस्त गवाहन वादी मुदमा व उसके घर परिवार के हितबद्ध साक्षी है जिस कारण भी उपरोक्त केस की घटना स्वयं ही झूठी फर्जी सिद्ध हो जाती है। वादी मुकदमा ने उपरोक्त केस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अं० धारा 173(4) बी.एन.एस.एस प्रस्तुत करके असल व वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गुमराह करके आदेश पारित कराकर थाने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तथाकथित घटना से करीब 4 माह की देरी से लिखायी है जिसका कोई संतोषजनक कारण नही दर्शाया गया है। जिससे कि पूर्णतः सिद्ध होता है कि वादी मुकदमा ने उपरोक्त केस अपने नाजायज दुरूददेश्यों की पूर्ति हेतु काउन्टर ब्लास्ट करने की नियत से झूठा पंजीकृत कराया है जिसमें लेशमात्र भी सच्चाई नही है। वादी मुकदमा व उसके परिवार जनों को कोई भी गम्भीर चोट नही है समस्त चोटे स्वयं द्वारा बनायी गयी जाली फर्जी व सामान्य चोटे हैं।प्रार्थी–अभियुक्तगण उपरोक्त केस की विवेचना दौरान अं०धारा–35(3) बी.एन.एस.एस के नोटिस पर थाने से रिहा रहे हैं तथा विवेचना दौरान प्रार्थी–अभियुक्तगण ने पूर्णतः सहयोग किया है। उपरोक्त केस में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित होकर उपरोक्त केस वर्तमान में न्यायालय सी० जे०एम० महोदय हापुड़ के यहाँ वाद संख्या 18668 सन 2025 के रुप में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार हैं। इस प्रकार आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कारित अपराध को गंभीर बताते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगम के साथ मजमा नाजायज बनाकर अपने हाथो में लिए धारदार हथियारो से वादी मुकदमा के पुत्रो के साथ गाली–गलौज करते हुए मारपीट की, जिसमें उन्हें गम्भीर चोटें आई तथा वादी मुकदमा के पुत्रो के हाथों में फ्रैक्चर हो गया। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उक्त आधारो पर अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का तर्क किया गया।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उसने विद्वान अधिवक्ता, वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला

शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा दांडिक वाद की पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण पर आरोप है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मजमा नाजायज बनाकर अपने हाथो में लिए धारदार हथियारो से वादी मुकदमा के पुत्रो के साथ गाली–गलौज करते हुए मारपीट की, जिसमें उन्हें गम्भीर चोटें आई तथा वादी मुकदमा के पुत्रो के हाथों में फ्रैक्चर हो गया। दौरान विवेचना आवेदकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को 35(3) बी०एन०एस०एस० का नोटिस देते हुए, विवेचना पूर्ण कर उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर आरोपित धाराएँ सात वर्ष तक की सजा से दंडनीय हैं। पत्रावली के अवलोकन यह भी विदित है कि मजरूबगण के सिर पर कोई फ्रैकचर नहीं आया है। अतः न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम विधि व्यवस्थाओं के आलोक में मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार करने का पर्याप्त आधार पाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 273 सन् 2024, धारा–147, 148, 323, 308, 325, 504 भा०दं०सं०, थाना धौलाना, जिला हापुड़ के मामले में स्वीकार किया जाता है। अतः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देषों के अनुपालन में संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये– 50,000/–रूपये की एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का एक–एक व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड दिया जाये।

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होगें तथा विचारण में सहयोग करेगें।
2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगें तथा अपना पासपोर्ट विचारण की समाप्ति तक न्यायालय में जमा करेगें।
4 यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगें तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगें तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगें और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।
5. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगें।
6. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अपने आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगें।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक 02.07.2026

प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।